कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
(नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम (मिनी मिशन-I))

बिहार सरकार कृषि विभाग
ई–मेल : nmoop.bihar@gmail.com वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष नं० : 0612-2217102

पत्र संख्या – NMOOP –08/2017 6266 /कृ० पटना, दिनांक 11–10– /2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी (सभी)
जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)

विषय :– **नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एवं ऑयलपॉम (NMOOP) मिनी मिशन-I (तेलहन) वर्ष 2017–18 अन्तर्गत योजना क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशानुसार नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एवं ऑयलपॉम (NMOOP) मिनी मिशन-I (तेलहन) वर्ष 2017–18 में NMOOP योजना का कार्यक्रम क्रियान्वित कराने हेतु जिलावार लक्ष्य तथा अनुमोदित कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार NMOOP योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 का कार्यक्रम क्रियान्वयन कराया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
10.10.17
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6266 दिनांक 11–10– /2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी योजना नोडल पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.10.17
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6266 दिनांक 11– 10 /2017

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10.10.17
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6266 दिनांक 11– 10 /2017

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.10.17
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\2017 (NMOOP)\September 2017\September 2017 NMOOP Letter.Doc

बिहार सरकार
कृषि विभाग

एन०एम०ओ०ओ०पी०
मिनी मिशन–I (तेलहन)

कार्यान्वयन अनुदेश
वर्ष 2017–18

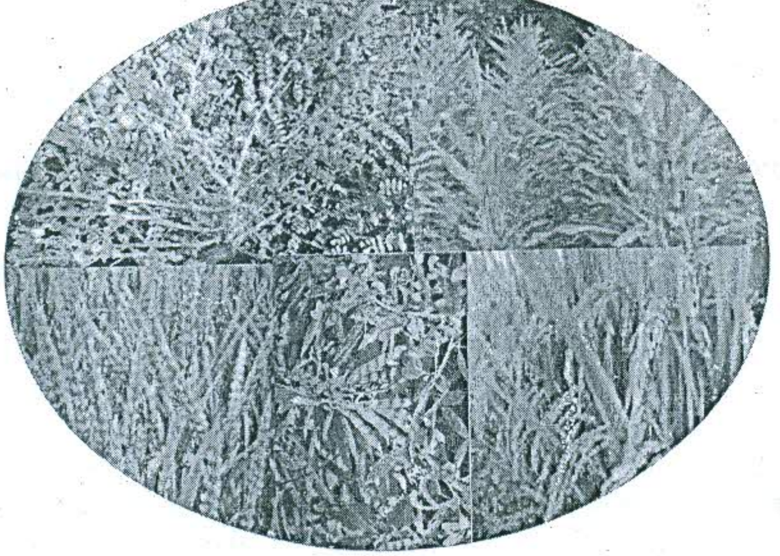

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम (NMOOP) योजना अन्तर्गत मिनी मिशन–I (तेलहन) को बिहार में वित्तीय वर्ष 2014–2015 से लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमशः 60:40 के अनुपात में योजना को कार्यान्वित किया जायेगा।

मिनी मिशन–I का मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. तेलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में नियमित वृद्धि लाने हेतु तेलहनी फसलों में राई/सरसों, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, तीसी, एवं सूर्यमुखी को सम्मिलित किया जाना।
2. भूमि की उर्वरता को बरकरार रखते हुए तेलहन के क्षेत्र में राज्य को पूर्णतः आत्म निर्भर बनाना।
3. कृषकों द्वारा परम्परागत बीज की जगह उन्नत एवं संकर प्रभेदों के बीज के उपयोग में वृद्धि लाना।
4. कृषकों को अन्य उपादान उपलब्ध कराते हुए कृषि तकनीकी हस्तानान्तरण को सफल बनाना।
5. रबी में परती भूमि/असिंचित भूमि में कम उत्पादक अनाज फसलों के स्थान पर तेलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
6. कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
7. कृषकों के बीच रोजगार के अवसर में वृद्धि लाना।

एन०एम०ओ०ओ०पी० योजना अन्तर्गत विभिन्न घटक एवं उपघटक पर देय अनुदान

1.(i)	प्रमाणित बीज का वितरण	15 साल से कम पुराने प्रमाणित तेलहन (मूँगफली/ सोयाबीन/ तिल/ तीसी/ राई/ सरसों) बीज प्रभेदों पर अधिकतम अनुदान 2500 रुपया + 1500 रुपया (राज्य योजना से Top Up) प्रति क्विंटल कुल 4000 रुपया प्रति क्विंटल या मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनो में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
(ii)	संकर बीज वितरण	15 साल से कम पुराने सुर्यमूखी/कुसुम/राई/सरसों/अण्डी के संकर प्रभेदों पर अधिकतम अनुदान मूल्य 5000 रुपया + 2500 रुपया (राज्य योजना से Top Up) कुल 7500 रुपया/क्विंटल या मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनो में जो न्यूनतम हो अनुदान देने का प्रस्ताव है।
2.(i)	प्रत्यक्षण तेलहन राई/सरसों **(मधुमक्खी पालन के साथ)** सूर्यमुखी **(मधुमक्खी पालन के साथ)** मूँगफली	 रुपया 2000 /एकड़ रुपया 2400 /एकड़ रुपया 3000 /एकड़
3.(i)	जिप्सम/पाईराईटस/लाईम/ डोलोमाईट/एस०एस०पी० वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रुपया/एकड़ दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।
(ii)	पौधा संरक्षण रसायन/ खरपतवार नाशक/सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रुपया/एकड़ दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।
(iii)	पौधा संरक्षण यंत्र (मानव चालित)	सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपया/यूनिट + 100 रुपया (राज्य योजना से Top Up) कुल 600 रुपया दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपया/यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।
(iv)	पौधा संरक्षण यंत्र वितरण (पावर/बैट्री चालित स्प्रेयर)	सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपया/यूनिट + 1000 रु० (राज्य योजना से Top Up) कुल 3000 रुपया दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपया/यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।
(v)	HDPE सिंचाई पाईप	अनुदान सीमा मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम सीमा HDPE पाईप के लिए 50 रु० प्रति मीटर, जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम अनुदान सीमा 15000 रु० प्रति लाभार्थी (सामान्य, अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति) देय होगा।

सामान्य अनुदेश

इस योजना के अन्तर्गत कुल लक्ष्य का कम से कम **16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति** के कृषकों का चयन किया जाना है।

सीमान्त एवं लघु कृषकों को ही मुख्यतः चयन कर लाभ पहुँचाना है **जिसमें 30 प्रतिशत महिला कृषकों** को भारत सरकार के स्वीकृति आदेश के आलोक में लाभान्वित किया जाना है।

अनुदान वाली योजनाओं एवं उपादान का कार्यान्वयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के सिद्धांत पर सम्पादित किया जाना है। पंचायत/प्रखण्डवार लाभुकों की पंजी संधारित किया जाना है। जिसमें प्रथम वरीयता के आधार पर उपादान पर अनुदान दिया जायेगा। साथ ही यह ध्यान रखा जाना है कि चयनित कृषक को विगत वर्षो में अनुदान का लाभ नहीं मिला हो। किसान को मिलने वाले अनुदान (सहायता) हेतु आवेदन पत्र–परिशिष्ट–1 पर है।

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम (एन०एम०ओ०ओ०पी०) (मिनी मिशन–I) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार के कुल 17 जिला क्रमशः पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सुपौल, अररिया, खगड़िया, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, दरभंगा, नालन्दा, भभुआ, गया एवं जहानाबाद में तेलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

मिनी मिशन–I के तहत सभी अनुदान वाले घटकों के लिए कृषकों के चयन में त्रि–स्तरीय पंचायत समिति सदस्य की सहभागिता सुनिश्चित करनी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 का (मिनी मिशन–I) फसलवार/घटकवार/उप–घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जिलावार (सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) अनुसूची–I संलग्न है।